

गायत्री वगैरा

बनाम


देवप्रकाश वगैरा

मु.सं.168/2021

ओर से श्री रामावतार सिंह तंवर एडवोकेट ने दावे में वकालत नामा प्रस्तुत । अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं भी उपस्थित। प्रार्थियागण/वादियागण व अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को ओर से राजीनामा प्रस्तुत हुआ जो दावे में शामिल पत्रावली किया गया।

चूंकि प्रार्थियागण/वादियागण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वाद खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रार्थियागण के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26-10-2021 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
महदा (दौसा)